हड़ताल की मॉगों पर व्याख्यात्मक स्मरण लेख

1. नान–एक्जीक्यूटिव के लिए वेतन पुनरीक्षण पर त्वरित समझौता

बी0एस0एन0एल0 नान–एक्जीक्यूटिव के लिए वेतन पुनरीक्षण 01.01.2007 से देय है। प्रबन्धन ने प्रतिनिधि यूनियन के साथ एक बैठक 11.01.2008 को की और तद्उपरान्त दूसरी ऐसी बैठक 15.12.2008 को हुई। लेकिन वेतन वार्ता सही मायने में 03.03.2009 को प्रारम्भ हुई, उसी क्रम में छः और बैठकें हुई, परन्तु प्रबन्धन की कर्मचारियों की न्यायोचित मांगे स्वीकार करने में अनिच्छा के चलते बिना किसी परिणाम के। यूनियन मांग करती है कि प्रबन्धन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो ंको स्वीकार करे और बिना और विलम्ब किये वेतन पुनरीक्षण को अन्तिम रूप दे।

2. वेतन पुनरीक्षण के लिए 5 वर्ष की अवधि

नान एक्जीक्यूटिव की प्रतिनिधि यूनियन के साथ समझौता वार्ता के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1971 से 1996 के मध्य 5 बार , प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन पुनरीक्षित हुआ। छठे वेतन पुनरीक्षण में, जो 01.01.1997 से लागू हुआ, विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा आदेशित कामगार विरोधी अर्थनीति के प्रभाव में सरकार ने वेतन पुनरीक्षण के लिए 10 वर्ष की अवधि थोपी। इसीलिए 01.01.2002 में 5 वर्ष बाद के बजाय सातवां वेतन पुनरीक्षण 10 वर्ष बाद 01.01. 2007 से हो रहा है। पुनः 01.01.07 से प्रभावी सातवें वेतन पुनरीक्षण के लिए सरकार द्वारा 10 वर्ष की अवधि की वही कामगार विरोधी शर्त थोपी गयी। सी0पी0एस0टी0यू0 के झण्डे तले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नान–एक्जीक्यूटिव की यूनियनें आपस में एकजुट हुई और 5 वर्ष की अवधि पुनर्योजित करने के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय लिया। तद्नुसार मिलाय बी0एस0एन0एल0 विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यूनियनों द्वारा 07.05.08 की हड़ताल के लिए नोटिस जारी की गयी। यह हड़ताल टालने के लिए प्रधानमंत्री ने सी0पी0एस0टी0यू0 प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और

इस बैठक में उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के साथ वेतन समझौता स्वीकार करते हुए डी0पी0ई0 ने 01.05.08 को आदेश जारी किये। बी0एस0एन0एल0 प्रबन्धक सिद्वान्ततः 5 वर्ष की अवधि के लिए सहमत है। लेकिन वहीं वह धमकी दे रहा है कि 5 वर्षीय वेतन समझौते के लिए 30 प्रतिशत फिटमेंट लाभ के बजाय केवल 10 प्रतिशत फिटमेंट लाभ दिया जा सकता है। कई संघर्षो के माध्यम से विजित 5 वर्षीय वेतन समझौतें का अधिकार मना करने की कोशिश कर रहा है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वेतन भूतकाल के लिए वास्तविक वेतन में गिरावट की पूर्ति करने के लिए पुनरीक्षित किये जाते हैं, न कि भविष्य काल के लिए। वर्तमान वेतन पुनरीक्षण के लिए अवधि के निरपेक्ष, जब पिछले वेतन पुनरीक्षण के बाद वेतन पुनरीक्षण के लिए अवधि (01.01.1997 से 10 वर्ष) एक्जीक्यूटिव तथा नान–एक्जीक्यूटिव के लिए समान है, फिटमेंट लाभ दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसलिए निचले स्तर के एक्जीक्यूटिव कों 30 प्रतिशत फिटमेंट लाभ तथा उच्च स्तर के एक्जीक्यूटिव को 50 प्रतिशत से 62 प्रतिशत फिटमेंट लाभ देने के बाद 5 वर्ष अवधि के लिए 10 फिटमेंट लाभ के प्रबन्धक के प्रस्ताव में कोई दम नहीं है।

वेतन पुनरीक्षण में फिटमेंट लाभ के लिए वेतन पुनरीक्षण अवधि से कोई मतलब नहीं है।

3. वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर उच्च एक्जीक्यूटिव के बराबर फिटमेंट लाभ

न्यूनतम वेतन रू0 4000/– (ग्रुप डी) और अधिकतम वेतन रू0 31500/– (सी0एम0डी0) के बीच सापेक्षता 1:7.875 थी। एक्जीक्यूटिव के वेतन पुनरीक्षण में सी0एम0डी0 का अधिकतम वेतन रू0 31,500 से रू0 1,25,000 पुनरीक्षित हुआ। इस प्रकार मौजूद सापेक्षता 1:7.875 बरकरार रखने के लिए ग्रुप डी का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित होकर 1,25,000 का 7.875 वॉ हिस्सा होना है और यह रू0 15,873 बनता है। इसलिए सी0एम0डी0 के वेतनमान के अधिकतम वेतन के साथ मौजूदा सापेक्षता बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि बी0एस0एन0

एल0 में न्यूनतम वेतन रू0 4000 से रू0 15873 पुनरीक्षित हो। यदि मूल वेतन रू0 4000 से कढ़कर रू0 15873 होना है तो वेतन+वेतन का 78.2 (वेतन पुनरीक्षण में डी0ए0विलम्ब का लाभ शामिल करते हुए) पर 122 प्रतिशत फिटमेंट लाभ दिया जाना है। यद्यपि डी0पी0ई0 आदेश दिनांक 26.11.2008 के द्वारा सभी एक्जीक्यूटिव के लिए वेतन+वेतन का 68.8 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत एक समान फिटमेंट लाभ निश्चित किया गया, सी0एम0डी0 के मामले मे ंपरोक्ष रूप से वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 62 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ स्वीकृत किया गया। सी0एम0डी0 का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित होकर रू0 27750 से रू0 80000 हुआ। सी0एम0डी0 को न्यूनतम वेतन रू0 27750 पर वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत में 30 प्रतिशत फिरभेंट लाभ जोड़ने पर केवल रू0 64290 आता है और तद्नुसार पुनरीक्षित वेतनमान में सी0एम0डी0 का न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन रू0 64280 होना था। परन्तु यह पुनरीक्षित वेतन मान में रू0 80000 पुनरीक्षित हुआ। 80000 पुनरीक्षण पूर्व न्यूनतम वेतन रू0 27750+27750 का 78. 2 प्रतिशत पर 62 प्रतिशत अधिक है। इसलिए प्रचलन में सी0एम0डी0 के लिए न्यूनतम स्तर पर 62 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ दिया गया। इसी प्रकार बोर्ड डाइरेक्टर के मामले में न्यूनतम स्तर पर वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 63 प्रतिशत फिटमेंट लाभ दिया गया। ठीक इसी प्रकार महाप्रबन्धक के मामले में न्यूनतम स्तर पर वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 50 प्रतिशत फिटमेंट लाभ दिया गया। पुनः डी0पी0ई0 ने 02.04.2009 के आदेश जारी किया कि फिटमेंट लाभ वेतन+वेतन पर 78.2 पर स्वीकृत होना चाहिए। ओ0एन0जी0सी0,गेल ई0सी0आई0एल0,आई0ओ0सी0एल0, भेल, एन0टी0पी0सी0,बेलआदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक्जीक्यूटिव के वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत फिटमेंट लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं। बी0एस0एन0एल0 में एक्जीक्यूटिव को पहले वेतन+वेतन का 68.8 प्रतिशत पर

30 प्रतिशत फिटमेंट लाभ स्वीकृत किया गया। लेकिन अब बी0एस0एन0एल0 प्रबन्धन एक्जीक्यूटिव के लिए इसे वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत पुनरीक्षित करने पर काम कर रहा है। ठीक उसी समय बी0एस0एन0एल0 प्रबन्धक नानएक्जीक्यूटिव के लिए वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत फिटमेंट लाभ देने से मना कर रहा है। और व्यापक प्रचार कर रहा है कि नान एक्जीक्यूटिव के लिए वेतन+वेतन का 68.8 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत फिर भेंट सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव एक बड़ा वरदान है। प्रबन्धन को नान एक्जीक्यूटिव के साथ छल–कपट और भेदभाव नही करना चाहिए और उसे वेतन पुनरीक्षण के लिए 5 वर्ष अवधि के साथ वेतन+वेतन का 78.2 प्रतिशत पर उच्च एक्जीक्यूटिव के समान फिटमेंट लाभ स्वीकार करने के लिए सहमत होना चाहिए।

4. **वेतन पुनरीक्षण समझौता और उसकी स्वीकृत को अन्तिम रूप देने में विलम्ब की स्थिति में 01.01.07 से प्रत्येक माह मूल वेतन का 50 प्रतिशत यारू03000 जो भी अधिक हो, की दर से अन्तरिम राहत भुगतान की जाय।**

अन्तरिम राहत उस स्थिति मे स्वीकृत की जाती है जब देय वेतन पुनरीक्षण विलम्बित होता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण 01.01.07 से देय है। 28 महीने से भी ज्यादा व्यतीत हो चुके हैं। जब इतना ज्यादा विलम्ब हो चुका हैं प्रबन्धन को अन्तरिम राहत के लिए सहमति व्यक्त करनी चाहिए। अधिकतर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो अन्तरिम राहत स्वीकृत कर चुके है या बहुत पहले अग्रिम का भुगतान कर चुके हैं। ओ0एन0जी0सी0 में वर्ष 2007 के लिए रू0 30000 से रू0 60000 तक अग्रिम भुगतान किया जा चुका है और तद्उपरान्त जनवरी 2008 से अग्रगामी प्रत्येक माह 2500 से रू0 3000 अन्तरिम राहत भुगतान की जा रही है, भेल में दो बार अन्तरिम राहत भुगतान किया गया है, जिसका योग रू0 40000 से 1,50,000 बनता है। कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्तरिम राहत की पर्याप्त राशि भुगतान की गयी है। हमनें मांग रखा है कि अन्तरिम राहत

मूल वेतन का 50 प्रतिशत का रू0 3000 जो भी अधिक हो भुगतान की जाय। यदि अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाता है तो रू0 50000 से रू0 80000 भुगतान किया जाय। यह उतना ही हैं, जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भुगतान किया जा चुका है। प्रबन्धन ने पहले 2 माह का मूल वेतन अग्रिम के रूप में देने का प्रस्ताव किया। यह निचले स्तर पर रू0 8000 बनता है। 29. 04.05 की बैठक में व्यापक चर्चा के उपरान्त सी0एम0डी0 ने 4 माह का पर मूल वेतन का प्रस्ताव किया, यह निचले स्तर पर रू0 16000 बनता है। हम इतना कम अग्रिम स्वीकार नहीं कर सकते है। कर्मचारी 01.01.2007 से 28 महीने के लिए बढ़ोत्तरी के पात्र हैं। यदि रू0 1000 प्रतिमाह की दर से अग्रिम की गणना की जाय तोयह रू0 28000 होगा। यहॉ यह उद्घृत करना उचित होगा कि वर्ष 2000 में सी0डी0ए0 वेतन मान से आई0डी0ए0 वेतनमान में रूपान्तरण में सभी कर्मचारियों को रू0 1500 प्रति माह से अधिक प्राप्त हुआ। परन्तु प्रबन्धक कारण जानने और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तुलना करने तथा हमारी मांगों के स्वीकार करने के तैयार नहीं है। जब सी0एम0डी0, निदेशक और महाप्रबन्धक और सभी एक्जीक्यूटिव अपना वेतन पुनरीक्षण ओ0एन0जी0सी0 के एक्जीक्यूटिव के बराबर प्राप्त कर चुके हैं, बी0एस0एन0एल0 में नान एक्जीक्यूटिव को ओ0एन0जी0सी0 के बराबर अन्तरिम राहत मना करने का कोई औचित्य नहीं है। अब जबकि निचले स्तर के एक्जीक्यूटिव का एक लाख अग्रिम (अग्रिम का 40 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, 60 प्रतिशत 2009–10 में भुगतान किया जाना है) भुगतान किया जा चुका है,उच्च एक्जीक्यूटिव की छोड़कर जिन्हें लगभग छः लाख या अधिक अग्रिम भुगतान किया गया है, नान एक्जीक्यूटिव को इसका आधा क्यों नहीं भुगतान किया जा सकता? 4 माह का मूल वेतन अल्प अग्रिम सम्बन्धी बी0एस0एन0एल0 प्रबन्धन की एक पक्षीय आदेश की घोषणा ''सभी महत्व उच्च एक्जीक्यूटिव'' और नान एक्जीक्यूटिव को कोई महत्व नहीं'' सम्बन्धी उसकी मानसिकता को परिलक्षित करता है। यह एक जागीरदारी दृष्टिकोण है, आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में, सार्वजनिक क्षेत्र में यह

बर्दास्त से परे है। इन सभी कारकों को संज्ञान में लेने के उपरान्त हमारी अन्तरिम राहत की उपरोक्त मांग स्वीकार करना आवश्यक है।

5. <u>केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए लागू दर पर 01.09.08 से मकान किराया भत्ता</u>

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार पुनरीक्षित दर 30 प्रतिशत (ए–1 शहर), 20 प्रतिशत, (ए,बी–1,बी–2 शहर) तथा 10 प्रतिशत (सी तथा गैर वर्गीकृत शहर) के पुनरीक्षित दर पर 01.09.2008 से मकान किराया भत्ता स्वीकृति आदेश जारी कर चुकी है। यहीं दर 01.09.2008 से बी0एस0एन0एल0 में कार्यरत डी0ओ0टी0 अधिकारियों के एक्जीक्यूटिव के लिए डी0पी0ई0 द्वारा जारी आदेश के तहत यही पुनरीक्षित दरें एक्जीक्यूटिव के लिए 26.11.2008 से लागू होनी है। विलयित डी0ओ0टी0 कर्मचारियों के लिए सी0डी0ए0 वेतनमान से आई0डी0ए0 वेतनमान में रूपान्तरण के समय 26.04. 2002 को हस्ताक्षरित वेतन समझौता पर आधारित बी0एस0एन0एल0 /26/एस0आर0/2002 दिनांक 07.08.02 द्वारा जारी आदेश संलग्नक पैरा 1 के अनुसार–

''भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शहरों के वर्गीकरण पर आधारित केन्द्र सरकार कर्मचारियों पर लागू दरों ओर शर्तों पर 1.10.2000 से बी0एस0एम0एल0 कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन पर आधारित मकान किराये भत्ते का भुगतान होगा।''

इसलिए केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए 01.09.2008 से लागू पुनरीक्षित मकान किराया भता दरें 01.09.2008 से ही बी0एस0एन0एल0 कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू हो जानी चाहिए।

6. नान एक्जीक्यूटिव के लिए 01.01.2007 से पुनरीक्षित वेतन मानों पर चक्रवृद्वि आधारित मूल वेतन पर 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्वि स्वीकृत होनी चाहिए।

7. प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण: 01.01.2007 से प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण के समय 2 वेतन वृद्धि (मौजूदा स्केल में वेतन का 10 प्रतिशत) का फिटमेंट लाभ ओ0एन0जी0ओ0 आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रोन्नति के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। इसलिए हम मांग करते है कि मूल वेतन पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वेतन वृद्धि (दो सामान्य वेतनवृद्धि के बराबर) 01.01.2007 से प्रोन्नति के समय प्रोन्नत वेतन मान में वेतन निर्धारण पर दी जाय।

8. पेंशनरी लाभ

a. विलयित कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार कर्मचारियों के समान पेंशन लाभ : सी0सी0एस0 (पेंशन) नियमावली के नियम 37–ए के उपनियम 8 के अनुसार बी0एस0एन0एल0 में विलयित डी0ओ0टी0 कर्मचारी डी0ओ0टी0 और बी0एस0एन0एल0 में उनकी संयुक्त सेवाओं के आधार पर पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं। तदनन्तर इस उपनियम में DoP&PW No.4/61/99-P&PW Dated 28.12.2002 के द्वारा एक व्याख्या जोड़ी गयी कि गणना उसी प्रकार की जायेगी जैसा कि उसी दिन वृद्वावस्था पर सेवा निवृत्त हो रहे केन्द्र सरकार कर्मचारी के मामले में किया जाता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित केन्द्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार करते हुए सरकार ने आदेश जारी किया। इन आदेश के आधार पर पेंशन लाभों में कुछ सुधार हैं–

(a) न्यूनतम 20 वर्ष योग्यता सेवा पूर्ण करने पर पूरी पेंशन दी जानी है और उनके लिए जो 2.9.08 को या उसके बाद सेवा निवृत्त है, परिलब्धि का 50 प्रतिशत या अन्तिम 10 माह के दौरान प्राप्त परिलब्धियों का औसत,जो भी लाभप्रद हो, पेंशन भुगतान की जायेगी।

(b) 01.01.06 या उसमें उपरान्त सेवानिवृत्तों के लिए डी0सी0आर0जी0 की अधिकतम सीमा रू0 10 लाख होगी।

(c) उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को, जिनकी मृत्यु 01.01.06 के या उसकें उपरान्त हुई हो, बढ़ी दरों पर परिवार पेंशन भुगतान होगी।

(d) उनके मामलें में,जो 01.01.06 के पूर्व सेवा निवृत्ति या मृत्यु को प्राप्त हुए, अलग आदेश जारी किये गये।

उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में निर्देशित नियमों के अनुसार बी0एस0एन0एल0 में विलम्ब के बाद सेवानिवृत्त डी0ओ0टी0 कर्मचारियों का पेंशन लाभ पुनरीक्षित होना है। पुनः डी0ओ0पी0 एण्ड PW आदेश नं0 38/37/08-P& PWA दिनांक 01.09.2008 के उपनियम 7 के अनुसार, 2006 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विलयित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जो सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहें है, को इन्हीं पुनरीक्षित नियमों के आधार पर पेंशन भुगतान की जायेगी। परन्तु यह अभीतक लागू नहीं हुआ है। आई0डी0ए0 स्केल में 10 माह पूरा करने से पूर्व सेवानिवृत्त बी0एस0एन0एल0 में विलयित डी0ओ0टी0 कर्मचारियों के लिए 01.10.2000 से सी0डी0ए0 स्केल से आई0 डी0 ए0 स्केल में वेतन पुनरीक्षण के कारण (डी0ए0 दर में कमी के कारण) पेंशन घट गयी है। लेकिन अभी तक यह मुद्दा अनिर्णीत है। इस मामले में यह गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 01.01.06 से वेतन पुनरीक्षण में यह समस्या उत्पन्न हुई, सरकार द्वारा उसमें आदेश संख्या 38/37/08 P & PW दिनांक 02.09.08 के उपनियम 12 के द्वारा पुनरीक्षण पूर्व अवधि के लिए 01.01.06 की परिलब्धि पे +डियरनेस पे+डी0ए0 मानकर निपटाया गया। पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण के समय इसी तरह का लाभ DoP&PWNo-45/86/97-P&PW(A)-Part-1 दिनांक 18.10.1999 के द्वारा दिया गया।

(b) बी0एस0एन0एल0 भर्ती कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

सी0सी0एस0 (पेंशन) नियमावली के नियम 37–ए के उपनियम 23 के अनुसार, इसके द्वारा सीधे भर्ती कर्मचारियों के लिए अपनी तरह की पेंशन योजना पर बी0एस0एन0एल0 को विचार करना था। परन्तु अभी तक बी0एस0एन0एल0 भर्ती कर्मियों के लिए ऐसी पेंशन योजना विकसित नहीं की गयी, यद्यपि यह मुद्दा यूनियन ने कई बार उठाया। निवेदन करना है कि प्रबन्धन बी0एस0एन0एल0 भर्ती कर्मियों के लिए पेंशन योजना का ड्राफ्ट शीघ्र तैयार करें और प्रतिनिधि यूनियन के साथ चर्चा तथा समझौता करके उसे अन्तिम रूप दे।

(c) पेंशन भोगियों केलिए 50 प्रतिशत आई0डी0ए0 लाभ

01.01.07 से बी0एस0एन0एल0 कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आई0डी0ए0 विलय हो गया। परन्तु यह विलय पेंशन भोगियों के लिए नहीं लागू हुआ, जो बी0एस0एन0एल0 से सेवानिवृत्त हुए। त्वरित निपटारा जरूरी है।

9. नानएक्जीक्यूटिव के सम्बन्धित ग्रेड के न्यूनतम वेतन के बराबर ठेका/आकस्मिक मजदूरों के वेतन–

यह स्थापित सिद्वान्त है कि एक ही स्थापना में कार्यरत ठेका/आकस्मिक मजदूरो का वेतन नियमित कर्मचारियों से सम्बन्धित ग्रेड के न्यूनतम वेतन के बराबर होना चाहिए। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रत एक आदर्श नियोक्ता है, बी0एस0एन0एल0 जैसे सार्वजनिक क्षेत्र को इसे लागू करना चाहिए।

10. एक्जीक्यूटिव के समान भत्ते और पर्क्स

चूँकि यातायात का व्यय, भोजन इत्यादि सबके लिए समान होगा, चाहे कर्मचारी एक्जीक्यूटिव है या नान–एक्जीक्यूटिव, भत्ते जैसे यातायात भत्ता ,पूरक भोजन भत्ता आदि के मामले में एक्जीक्यूटिव एवं नान–एक्जीक्यूटिव के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इसलिए नान एक्जीक्यूटिव के लिए भत्ते और वर्क्स एक्जीक्यूटिव के समान होना चाहिए।

वी0ए0एन0 नम्बूदिरी